www.krishipravahika.com

कृषि प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

e-ISSN: 2583 – 0430

कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका, (2022) वर्ष 2, अंक 4, 25-28

Article ID: 181

एफपीओ- फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (कृषक निर्माता कंपनी)

अनिल गोदारा[1], सुरेश गारू(जाट)[1], मांगी लाल जाट[2]*, नरेन्द्र जाट[3], राकेश कुमार[4]

[1]बी.एस. सी.(ओनर्स) कृषि विधार्थी, एपेक्स कृषि महाविद्यालय चाईया

[2]सहायक आचार्य (कृषि प्रसार शिक्षा), एपेक्स कृषि महाविद्यालय चाईया

[3]महाराणा प्रताप कृषि एंव प्रोधोगिकी यूनिवर्सिटी,उदयपुर

[4]एपेक्स कृषि महाविद्यालय चाईया

एफपीओ का अर्थ:-

एफपीओ को 'कृषक निर्माता कंपनी' कहा जाता है |यह किसानो का एक संगठित समूह होता है, जिसका कार्य कृषि के उत्पादन कार्यो को बढ़ाना और कृषि से सम्बंधित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में किसानो को बताता है।

पीएम किसान एफपीओ योजना बनी किसानों की आय-

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पांच राज्यों में मधुमक्खी पालक को स्थापित करने की घोषणा की है। यह घोषणा केंद्र सरकार की पीएम किसान एफपीओ योजना के अंतर्गत की गई है। जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 10000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 26 नवंबर 2020 को 5 जिलों में एफपीओ का शुभारंभ किया गया है। यह 5 जिले मध्य प्रदेश का मुरैना, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, बिहार का पूर्वी चंपारण, राजस्थान का भरतपुर तथा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का नाफेड है।इस योजना के माध्यम से भारत को शहद उत्पादन में आगे बढ़ाना है। इन 5 जिलों के FPO 4 से 5 हजार शहद उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा तथा 60,000 क्विंटल शहद उत्पन्न होगा। जो कि नफेड की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। एसपीओ के सभी सदस्य संगठन अपनी गतिविधियों का प्रबंधन खुद कर सकेंगे। जिससे कि बाजार तक बेहतर पहुंच बन सके।

इस योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। पीएम किसान एफपीओ योजना के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने में एफपीओ का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।पीएम किसान FPO योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।

एफपीओ की फुल फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है। यह संगठन होता है जिसके सदस्य किसान होते हैं। एसपीओ के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, ऋण, प्रोसेसिंग, सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से किसान 15 लाख रुपए तक का ऋण भी ले सकते हैं। एफपीओ को इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाया जा सकता है। इसके अलावा इस संगठन के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। इस संगठन का लक्ष्य किसानों को हर कार्य संभव मदद प्रदान करना होता है।

यह संगठन किसानों को उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के ब्लॉक में एक एफपीओ होना चाहिए। यह संगठन उन जिलों में प्राथमिकता पर संगठित किया जाएगा जो एस्पिरेशनल होते हैं। एफपीओ के माध्यम से पर्याप्त प्रशिक्षण और हैंड हैंडलिंग प्रदान की जाती है इसके अलावा सीबीओ के स्तर से

प्राथमिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

नॉर्थईस्ट एवं पहाड़ी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और मैदानी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज:-

- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर

पीएम किसान FPO योजना के मुख्य तथ्य:-

- किसान FPO योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- एफपीओ की फुल फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है।
- यह संगठन होता है जिसके सदस्य किसान होते हैं।
- एसपीओ के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, ऋण, प्रोसेसिंग, सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से किसान 15 लाख रुपए तक का ऋण भी ले सकते हैं।
- एफपीओ को इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाया जा सकता है।
- इसके अलावा इस संगठन के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।
- इस संगठन का लक्ष्य किसानों को हर कार्य संभव मदद प्रदान करना होता है।
- यह संगठन किसानों को उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के ब्लॉक में एक एफपीओ होना चाहिए।
- यह संगठन उन जिलों में प्राथमिकता पर संगठित किया जाएगा जो एस्पिरेशनल होते हैं।
- एफपीओ के माध्यम से पर्याप्त प्रशिक्षण और हैंड हैंडलिंग प्रदान की जाती है इसके अलावा सीबीओ के स्तर से प्राथमिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
- नॉर्थईस्ट एवं पहाड़ी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और मैदानी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए।

एफपीओ के सिद्धांत:-

कृषि से सम्बंधित व्यावसायिक गतिविधियों के कृषि बारे में किसानो को बताना | यदि किसान भाई चाहे तो एक समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर एफपीओ तैयार कर सकते है | एफपीओ कृषि करने वाले किसान तथा व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में सामान विचार रखने वाले किसान, एक या एक से अधिक गावो के किसान मिलकर इस तरह के समूह को स्वयं तैयार कर सकते है एफपीओ का फायदा यह होगा कि किसानो को अपनी फसल के अच्छे दाम प्राप्त होंगे, और खरीदारों को भी उचित मूल्य पर उत्पादन प्राप्त होगा | इसके अलावा वह व्यक्ति जो अपनी फसल को बेचने के लिए अकेले ही चला जाता है, उसका मुनाफा बिचौलियों को मिल जाता है | एफपीओ में आवेदन कर किसान अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त कर सकते है | देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि देश में वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 तक तक़रीबन 10,000 नए एफपीओ का संगठन किया जायेगा | जिससे किसानो में सामूहिक शक्ति का विस्तार होगा |पीएम किसान FPO योजना के मुख्य तथ्य पीएम किसान FPO योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। एफपीओ की फुल फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है। यह संगठन होता है जिसके सदस्य किसान होते हैं। एसपीओ के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, ऋण, प्रोसेसिंग, सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है।

इस योजना के माध्यम से किसान 15 लाख रुपए तक का ऋण भी ले

सकते हैं। एफपीओ को इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाया जा सकता है। इसके अलावा इस संगठन के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। इस संगठन का लक्ष्य किसानों को हर कार्य संभव मदद प्रदान करना होता है। यह संगठन किसानों को उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के ब्लॉक में एक एफपीओ होना चाहिए। यह संगठन उन जिलों में प्राथमिकता पर संगठित किया जाएगा जो एस्पिरेशनल होते हैं। एफपीओ के माध्यम से पर्याप्त प्रशिक्षण और हैंड हैंडलिंग प्रदान की जाती है इसके अलावा सीबीओ के स्तर से प्राथमिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। नॉर्थईस्ट एवं पहाड़ी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और मैदानी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए।

व्यावसायिक गतिविधियां :-

- हम अपने एफपीओ सदस्यों को कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण, भंडारण, प्राथमिक प्रसंस्करण और व्यापार में सहायता प्रदान करते हैं।
- हमारे एफपीओ किसानों के लिए बीजों के उत्पादन और विपणन के लिए समर्थन।
- टिकाऊ खेती और विकास के लिए हमारे एफपीओ किसानों को कृषि आदानों के लिए सहायता प्रदान करना
- एफपीओ सदस्यों के लिए बाजार संपर्क और वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए सहायता प्रदान करना

एफपीओ के लाभ:-

- यह एक सीमांत व लघु किसानो का समूह होगा,इस समूह से जुड़े किसानो को अपनी उपज के अच्छे दाम मिलेंगे साथ ही उन्हें खाद, बीज, दवाये और कृषि उपकरणों को खरीदने में भी आसानी होगी |
- किसानो द्वारा एफपीओ समूह को संगठित करने के बाद मिलने वाली सेवाएं सस्ते दामों पर प्राप्त हो जाएँगी, इसमें बिचौलियों का कोई काम नहीं होगा |
- इस एफपीओ के माध्यम से किसानो को अपने उत्पादन के अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए एक सीधा मार्केट मिल जायेगा |
- एफपीओ संगठन समूह को तैयार करने के बाद किसानो के मध्य एकजुटता देखने को मिलेगी और भविष्य में उनका शोषण नहीं होगा।
- केंद्र सरकार आगामी 5 वर्षो में लगभग 10 हजार कृषि उत्पादक संगठनों को तैयार करने में लगी है।

पीएम किसान एफपीओ योजना 2022 का उद्देश्य:-

जैसे की आप सभी लोग जानते है देश के बहुत से ऐसे किसान है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है खेती करने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है इन किसानो को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस पीएम किसान एफपीओ योजना 2022 को शुरू की गयी है इस योजना के ज़रिये किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को केंद्र सरकार द्वारा 15 -15 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना। इस योजना के ज़रिये किसानो की आय में वृद्धि करना और किसानो के हित में कार्य करना।प्रधानमंत्री किसान एफपीओ स्कीम 2022 के ज़रिये देश के किसानो को उसी तरह फायदा होगा जैसे कारोबार में होता है।

एफपीओ कैसे बनाये:-

- देश का कोई भी किसान एफपीओ समूह का सदस्य बन सकेगा ।
- एफपीओ संगठन में 10 लाख वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी ।
- एक संगठन को तैयार करने में न्यूनतम 10 किसानो का होना जरूरी है।
- एक संगठन में अधिकतम 1000 किसानो को ही जोड़ा जा सकेगा।

- एक हजार किसान समूह वाले संगठन का प्रत्येक किसान एक हजार रूपए देकर दस लाख के वर्किंग कैपिटल को जुटा सकेगा |
- किसानो को एफपीओ में आवेदन कराने के लिए कुछ शुल्क देना होता है |
- सी.एस. सी. वी.एल. ई. वाले किसान इस संगठन का हिस्सा नहीं होंगे |

सी.एस.सी&वी.एल.ई.:-

कोमन सर्विस सेन्टर,(सेवा केंद्र)को जो व्यक्ति संचालित करता हैं उसे हम वी.एल.ई.कहते हैं ! वी.एल.ई.का पूरा नाम- विलेज लेवल इंट्रेप्रेन्यूर हैं | वी.एल.ई.को हिंदी में हम ग्राम लेवल उद्यमी कहते हैं | सीएससी का संचालन गांव स्तर उद्यमी (वीएलई) द्वारा किया जाता एफपीओ है |

- **एफपीओ में पंजीकरण करने की विधि:-**
- **सर्वप्रथम आपको FPO की आधिकारिक वेबसाइट http://www.upagriculture.com पर जाना होगा | आपके सामने वेबसाइट का Home Page खुल कर आ जायेगा |**
  - सर्वप्रथम आपको की आधिकारिक वेबसाइट http://www.upagriculture.com पर जाना होगा |
  - आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा |
  - इस होम पेज में आपको ऑनलाइन पंजीकरण के लिंक पर क्लिक करना होगा |
  - आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जायेगा |
  - इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक-ठीक भरना होगा |
  - फॉर्म को ठीक तरह से भरने के बाद आपको संबिट बटन पर क्लिक करना होगा |
  - इस तरह से एफपीओ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है |

अथवा

1. लॉगिन करने की प्रक्रिया
2. सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
3. अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
4. इसके बाद आपको एफपीओ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
5. अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
6. पीएम किसान FPO योजना
7. इसके बाद आपके सामने लॉगइनफॉर्म को लेकर आएगा।
8. अब आपको यूजरनेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
9. इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
10. इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएं